न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

R338-I/08

श्रीमति विद्यादेवी दुबे बेवा श्री कृष्णकुमार दुबे
निवासी शु क्वारी टौरी सागर तह0 व जिला सागर

...आवेदिका

।। विरुद्ध ।।

बाबूसिंह राजपूत बल्द श्री दुरगसिंह राजपूत
निवासी गोपालगंज वार्ड सागर तह0 व जिला सागर

... अनावेदक

क्रमांक 551
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 31-3-08 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा.सं.

यह निगरानी आवेदिका श्रीमति विद्यादेवी दुबे माननीय निम्न न्यायालय अतिरिक्त. कमिश्नर सागर संभाग सागर के निगरानी प्रकरण क्र0 59/अ-12 वर्ष 06-07 पक्षकार श्रीमति विद्यादेवी विरुद्ध बाबूसिंह में पारित आदेश दिनांक 17 जुलाई 2007 से परिवेदित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन करती है :-

1- यह कि, माननीय निम्न न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों व विधि के प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुए उक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।

2- यह कि, आवेदिका की खानदानी शामिल शरीक खाते की भूमि मौजा सागर खास प.ह.नं. 65/77 बंदो.नं. 470/263 में स्थित खसरा नंबर 526 रकवा 624 एकड़ तहसील व जिला सागर में स्थित है। एतद् प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु आवेदिकाने आवेदन पत्र अधि0 न्यायालय तहसीलदार सागर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर तहसीलदार सागर द्वारा रा.प्र.क्र0 22अ/12-वर्ष 2005-06 पंजीबद्ध करते हुए राजस्व निरीक्षक से विधिवत् सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना उपरांत सीमांकन कराया गया था और राजस्व निरीक्षक ने विधिवत् फील्डबुक, व नक्शा तैयार किया गया था इसमें किसी भी तरह की कोई भी

..2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-338/I/08 ...... जिला सागर

विद्यादेवी ... बाबू सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/9/15 सागर कैम्प	प्रकरण में अनावेदक अभि० श्री रमन [illegible] एवं अनावेदक स्वयं उपस्थित। आवेदक एवं आवेदक अभि० निगरानी प्रस्तुति दिनांक 17-3-08 से आज दिनांक तक लगातार अनुपस्थित है। आवेदक एवं आवेदक की अनवरत वर्ष 2008 से अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण को चलाने में आवेदक कोई रुचि नहीं है। आज दिनांक 23-9-15 को भी आवेदक एवं आवेदक अभि० को तीन बार आवाज लगवाई गई, बावजूद पुकार आवेदक एवं आवेदक अभि० अनुपस्थित रहे हैं। अनावेदक अभि० एवं अनावेदक द्वारा निवेदन करते हुए कहा गया कि यह प्रकरण ग्राह्यता के स्तर पर अनावश्यक रूप से वर्ष 2008 से लंबित है जिसे निरस्त करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में विद्यमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा आवेदक की लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए प्रकरण में आवेदक को कोई रुचि न होने से प्रकरण ग्राह्यता के इसी प्रक्रम पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.

स्वत्व प्रमाणीकरण ग्राम के सीमांकन हेतु आवेदकगण आवेदन पत्र अधि० न्यायालय तहसीलदार सागर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर तहसीलदार सागर द्वारा रा.प्र.क्र० 223/12-वर्ष 2005-06 पंजीबद्ध करते हुए